

**राजस्थान विधान सभा**  
**अष्टम सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट एवं ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किया गया स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगे ।

**3. याचिकाओं का उपस्थापन**

(I) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर मसुरिया के प्रतिवर्ष के विशाल मेले एवं मेला जातरुओं के आवश्यकता-उपयोगिता अनुरूप बाबा रामदेव रोड़ के विकास बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(II) श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा, नवलगढ़ शहर के बीच बसी वाल्मिकी कॉलोनी एवं खटीकों के मोहल्ले में फैले गंदे पानी के निकास बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(III) श्री कान सिंह कोटड़ी, सदस्य, विधान सभा, सिवाना में सहशिक्षा राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(IV) श्री कमल बैरवा, सदस्य, विधान सभा, ग्राम पंचायत कानोता, पंचायत समिति-बस्सी द्वारा अनुसूचित जाति के मोहल्ले में पानी के निकास का नाला निर्माण व सी.सी. रोड़ बनाने में जानबूझकर उपेक्षा किये जाने में वाल्मिकियों के मकान क्षतिग्रस्त होने व आवागमन अवरूद्ध होने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(V) कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- ग्राम पंचायत माण्डपुरा बरवाला के राजस्व ग्राम सियागों की ढाणी को सड़क से जोड़ने बाबत् ।
- 2- ग्राम पंचायत मुख्यालय माण्डपुरा बरवाला उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् ।

#### 4. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री शंकरलाल अहारी, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2011-2012, समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

#### 5. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, 232(1) सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जनलेखा समिति, 2012-2013, प्राक्कलन समिति 'क', 2012-2013, प्राक्कलन समिति 'ख', 2012-2013 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-306 के अध्यक्षीन प्रक्रिया के नियम-230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

#### 6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013

##### प्रथम अवस्था

##### सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा।

कृष्ण मुरारी गुप्ता  
उप सचिव

विधान सभा भवन,

जयपुर

दिनांक 28 मार्च, 2012